

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 07 जनवरी, 2022

विषय:- The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 के अन्तर्गत नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-2777/पांच-6-2021, दिनांक 22.11.2021 एवं शासनादेश संख्या-2777/पांच-6-2021, दिनांक 06.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 के अन्तर्गत नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि फिलहॉल 50 शैय्या से कम क्षमता वाले चिकित्सालयों/नैदानिक स्थापनों का पंजीकरण वर्तमान में चल रही व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगा।

3. 50 या उससे अधिक शैय्या के चिकित्सालयों/नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
*Amit Mohan Prasad*  
7.1.22


(अमित मोहन प्रसाद)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/पांच-6-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
7. अधिशासी निदेशक, यू०पी०टी०एस०यू० लखनऊ।
8. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०।
9. निदेशक, आयुर्वेद, उ०प्र०, लखनऊ।
10. निदेशक, होम्योपैथी, उ०प्र०, लखनऊ।
11. निदेशक (चिकित्सा उपचारे), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)  
संयुक्त सचिव।